BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 163 OF 2025

(IA No. 296/2025)

IN THE MATTER OF:

Dinesh Goyal & Anr. Applicant(s)

Versus

Ganesh Aggarwal & Ors. Respondent(s)

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate Meerut in compliance of order dated 22.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure R-1:** A copy of office letter dated 27.06.2025.	
3.	**Annexure R-2:** A copy of report submitted by the joint inspection committee.	
4.	**Annexure R-3:** A copy of letter dated 28.07.2025.	

Ankit Verma

THROUGH

Dated- 30.07.2025

(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL STATE OF UP
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013
MOB:- 09990804440
Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL

BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 163 OF 2025

(IA No. 296/2025)

IN THE MATTER OF:

Dinesh Goyal & Anr. Applicant(s)

Versus

Ganesh Aggarwal & Ors. Respondent(s)

REPL AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 22.04.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No 16 herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Dr. V.K.Singh aged about 54 years, S/o Shri Parma Nand Singh presently posted as District Meerut Magistrate Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned authorized officer of answering Respondent No. 16 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That the deponent is posted as District Magistrate Meerut, since 18.01.2025 and is swearing this reply affidavit in his official capacity.

5. That the instant Original Application has been filed by the applicants raising a grievance about an ancient well which existed at temple named Shree Bilveshwar Nath Mahadev Temple, which is situated at the back of Sadar Police Station, Meerut Cantt, Uttar Pradesh. It has been further alleged that the property where the well is situated is an ancient property and the well is being filled up now and is being encroached upon by some of the respondents who have been arrayed in the instant Original Application.

6. That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 22.04.2025 was pleased to issue the following directions:-

5 "............*OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms. 6. Issue notice on OA and IA No. 296/2025 to the respondents for filing their responses/replies by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent files the reply directly without routing it through their advocate, then that respondent must be present virtually to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.......*"

7. That the present reply affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 22.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

8. That in respectful compliance of the order dated 22.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent herein vide his office order no. 482/2025 dated 27.06.2025 constituted a joint inspection committee comprising of seven members -Secretary Meerut Development Authority Meerut, Additional Municipal Commissioner Nagar Nigam Meerut, Additional City Magistrate Meerut, Circle Officer Cant Meerut, Regional Officer UPPCB Meerut, Executive Engineer UP Jal Nigam (Rural) Meerut and Superintending Archaeological Survey of India, Meerut Circle and directed them to ascertain the factual position after hearing both the parties and submit a report to the office of the deponent

by 10.07.2025. A copy of office order dated 27.06.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1** .

9. That the joint committee inspected the temple on 25.07.2025 wherein it was observed that the garbage generated from the temple premises is collected in a shed at the back of the property. The garbage is disposed of from time to time through the Cantonment Board. The representative Shri Harish Chandra Joshi present at the time of inspection informed that when it came to notice that garbage was burnt by the sanitation worker in the past, burning of garbage was prohibited. During inspection, some amount of solid waste containing plastic and dry flowers was found dumped at the site where temple is located. Apart from the above, cow dung was also found. Animal husbandry activity/ Gaushala is not located in the premises.

10. That further it is submitted that as per report, the temple complex is of ancient and archaeological importance and the well is said to be located inside an open building near the main gate of the temple complex. At present, the well has been completely filled and leveled. The marks of the well and the bathing platform are located inside the building. A copy of report submitted by the joint inspection committee is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

11. That since the temple is a heritage property and is maintained by the Archaeological Survey of India, therefore the deponent

on the basis of the joint committee report vide his office letter no. vide letter no. 1042 RO/PCB/2025 dated. 28.07.2025 has written to the State Archeological Department, Lucknow with a request for taking necessary action or direct the concerned department regarding the maintenance of the complex (temple, well etc.), its management and cleanliness. A copy of letter dated 28.07.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3**.

12. That it is pertinent to mention earlier also some of the respondents who have been arrayed in the instant Original Application had preferred a representation to the then District Magistrate Meerut where in a request was made to look into the dispute of encroachment on the premises of ancient temple , which is the subject matter of the instant OA.

13. That acting on the said representation the then District Magistrate Meerut vide his order dt 21.08.2023 directed the ACM to look into the allegations raised by the respondents.

14. In this regard, earlier also the Additional City Magistrate(Sadar), Meerut has also sent its investigation report through letter no.992/पेशकार/एसीएम–प्रथम/जांच/मेरठ/2023 dt. 18. 09.2023. It has been mentioned in the report that an attempt has been made to destroy the ancient memory by getting an ancient well situated in the temple premises closed by Smt.

Sudha Goswami. The said report is a part of joint committee report annexed as Annexure R-2.

15. That in the interest of justice, the present reply affidavit by the deponent may be taken on record by this Hon'ble Tribunal, in the interest of justice.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA) NAROTTEM KUMAR GARG Advocate Head Quarter Meerut Reg.No 01/06/89

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this 30th day of July, 2025.

DEPONENT

Certified that Dr. V.K. Singh S/o Parmod Singh
Resident of Meerut
Identified by Sh. Nishant K. Garg Adv.
Swore the Contents of the affidavit on oath
before NAROTTEM KUMAR GARG Advocate
Meerut F... per deponent Attested.

NOTARY
30/7/2025

निशान्त कुमार गर्ग
एडवोकेट
रजि० नं० 4989/2009

Annexure - R-1

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE MEERUT.

पत्रांक 482 /क्षे0प्र0कार्या0 / 2025 दिनांक 27 –06–2025

कार्यालय आदेश

एतदद्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A.No. 163/2025 (I.A. No. 296/2025) Dinesh Goyal & Anr. Vs Ganesh Aggarwal & Ors. में पारित आदेश दिनांक–22 / 04 / 2025 के मुख्यांश निम्नवत हैं–

"...... 5. OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

6. Issue notice on OA and IA No. 296/2025 to the respondents for filing their responses/replies by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent files the reply directly without routing it through their advocate, then that respondent must be present virtually to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

7. List on 01.08.2025. "

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक ने दलील दी है कि श्री विलवेश्वर नाथ महादेव मंदिर के परिसर में एक प्राचीन कुआं था, जो सदर पुलिस स्टेशन, मेरठ कैण्ट, उत्तर प्रदेश के पीछे स्थित था। उक्त कुआं 100 साल पुराना है जो विरासत संपत्ति का हिस्सा है। आवेदक का आरोप है कि कुएं को भरा जा रहा है और कुछ प्रतिवादी उस पर अतिकमण करने एवं उस क्षेत्र में निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आवेदक ने खुले क्षेत्र में कचरा जलाने का भी आरोप लगाया है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। मा0 एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक–22 / 04 / 2025 एवं सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक–एनजीटी–430 / 81–7–2025–1940555 दिनांक–23 / 06 / 2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में मा0 एनजीटी में विचाराधीन उक्त वाद में प्रभावी कार्यवाही हेतु निम्न सदस्यों की टीम / समिति गठित की जाती है–

1. सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2. श्रीमती लवी त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
3. अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मेरठ।
4. पुलिस क्षेत्राधिकारी, कैन्ट, मेरठ
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
6. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0जल निगम (नगरीय), मेरठ।
7. अधीक्षक, आर्कियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया, मेरठ सर्किल (9868230302)

उक्त निर्देशों के अनुपालन में समिति को निर्देशित किया जाता है कि स्थल निरीक्षण, अभिलेखों का परीक्षण एवं पक्षों को सुनकर नियमानुसार विधिसम्मत् कार्यवाही करते हुए संयुक्त आख्या दिनांक 10-7-2025 तक उपलब्ध करायें ताकि मा0 एनजीटी में योजित उक्त वाद में प्रभावी कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरी की ओर से आख्या ससमय मा0 एनजीटी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–यथोपरि।

26/06/2025

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि–

1–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
3–उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
4–अपर जिलाधिकारी–नगर, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

1–सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2–श्रीमती लवी त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
3–अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मेरठ।
4–पुलिस क्षेत्राधिकारी, कैन्ट, मेरठ
5–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
6–अधिशासी अभियंता, उ0प्र0जल निगम (नगरीय), मेरठ।
7–अधीक्षक, आर्कियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इण्ड़िया, मेरठ सर्किल (9868230302)

26/06/2025

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Annexure-R-2

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–163/2025 दिनेश गोयल एण्ड अदर्स बनाम गनेश अग्रवाल एण्ड अदर्स (आई0ए0 संख्या–296/2025) में पारित आदेश दिनांक–22/04/2025 के संदर्भ में आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–163/2025 दिनेश गोयल एण्ड अदर्स बनाम गनेश अग्रवाल एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–22/04/2025 के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं–

"1. In this Original Application (OA), the applicant pleads that an ancient well existed in a mandir named Shree Bilveshwar Nath Mahadev Mandir, which was situated at the back of Sadar Police Station, Meerut Cantt, Uttar Pradesh.

2. Further plea of the applicant is that property is a heritage property and well itself was 100 years old and a part of the heritage property.

3. The applicant alleges that the well is being filled up, and some of the respondents are attempting to encroach upon it and raise construction in that area. The applicant alleges that certain persons with criminal minds intend to make shops on the well and sell it for commercial gain.

4. The applicant has also alleged about open burning of garbage, causing air pollution. In support of such a plea, Learned Counsel for the applicant has referred to photograph on page no. 103 to show that well has been filled up and also photographs on page nos. 105, 106 and 107 in support of the plea of open burning of the garbage.

5. OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

6. Issue notice on OA and IA No. 296/2025 to the respondents for filing their responses/replies by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent files the reply directly without routing it through their advocate, then that respondent must be present virtually to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

7. List on 01.08.2025..."

उक्त आदेश के कम में जिलाधिकारी, मेरठ के कार्यालय आदेश संख्या–482/क्षे0प्र0कार्या0/2025 दिनांक–27/06/2025 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु टीम/समिति का गठन किया गया है। (संलग्नक–1)

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से उक्त वाद में प्रदूषण संबंधित तथ्यों हेतु/पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दिनांक–25/07/2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री बिल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पुजारी व प्रतिवादी संख्या–2 श्री हरीश चन्द्र जोशी उपस्थित थे। आख्या निम्नवत है–

कृ0प0उ0

1. संदर्भित स्थल छावनी क्षेत्र मेरठ में पुलिस थाना सदर, कैण्ट, मेरठ के समीप स्थित है।
2. संदर्भित परिसर में श्री बिल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। परिसर में मुख्य रूप से उक्त प्राचीन महादेव मंदिर स्थापित है।
3. परिसर में महादेव मंदिर के अतिरिक्त श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर, श्री बालाजी मंदिर एवं श्री बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय(संबद्व संपूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी) एवं छात्रावास स्थित है।
4. परिसर में स्थित मंदिर एवं भवन काफी पुराने हैं एवं कोई नया निर्माण नहीं किया गया है।
5. परिसर में 04 परिवार एवं लगभग 50 छात्र निवास करते हैं।
6. परिसर में जलापूर्ति पाइप लाइन द्वारा एवं परिसर में स्थित 03हैण्डपम्प के माध्यम से किया जाता है।
7. परिसर में पीछे की तरफ एक खंडहर में परिसर से जनित कूड़ा एकत्रित किया जाता है। समय समय पर छावनी परिषद के माध्यम से कूड़ा निस्तारण किया जाता है। उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि पूर्व में सफाईकर्मी द्वारा कूड़ा जला दिया जाना संज्ञान में आने पर कूड़ा जलाने हेतु मना कर दिया गया है।
8. निरीक्षण के समय स्थल पर प्लास्टिक युक्त ठोस अपशिष्ट कुछ मात्रा में तथा सूखे फूल निस्तारित पाये गये। उक्त के अतिरिक्त गोबर भी डम्प किया गया पाया गया। परिसर में पशुपालन गतिविधि/गौशाला स्थित नहीं है। फोटोग्राफ निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न हैं।
9. मंदिर परिसर के मुख्य द्वार के सन्निकट स्थित खुले भवन के अंदर कुआं स्थित होना बताया गया। वर्तमान में कुआं पूर्णतः भरकर समतल कर दिया गया है। कुंये के निशान व नहाने का प्लेटफार्म भवन में स्थित है।
10. पूर्व में शिकायत श्री पवन गर्ग प्रतिवादी संख्या–2 एवं श्री पवित्र गोयल,पारस गोयल प्रतिवादी संख्या–04 के शिकायती पत्र दिनांक–21/08/2023 के कम में अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मेरठ द्वारा किये गये जांच की आख्या मौके पर उपलब्ध करायी गयी जो कि संलग्न है। **(संलग्नक–2)** आख्यानुसार परिसर में गंदगी व अव्यवस्था तथा प्राचीन कुंये को बंद कराकर प्राचीन स्मृति को खत्म करने का प्रयास किया जाना पाया गया है।
11. निरीक्षण में परिसर में साफ सफाई की स्थिति सामान्य पायी गयी। जबकि एकत्रित कूड़े का नियमित निस्तारण नहीं किया जाना पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है।
12. कूड़े का नियमित निस्तारण तथा फूलों के निस्तारण बायोकम्पोस्टिंग की व्यवस्था संबंधित द्वारा कराया जाना उचित होगा।
13. आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के अनुसार मंदिर परिसर राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में होने के कारण उनके स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
14. मेरठ विकास प्राधिकरण के अनुसार मंदिर परिसर छावनी क्षेत्र में स्थित है तथा राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। प्राधिकरण के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

15. नगर निगम, मेरठ के अनुसार परिसर मेरठ छावनी परिषद के क्षेत्र में स्थित है। नगर निगम के क्षेत्र से बाहर होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

16. उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) के अनुसार परिसर मेरठ छावनी परिषद के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः उनके विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मंदिर परिसर प्राचीन एवं पुरातात्विक महत्व का है। परिसर का रखरखाव (मंदिर, कुआं आदि) प्रबंधन एवं साफ सफाई इत्यादि के संबंध में राज्य पुरातत्व विभाग,लखनऊ, उ0प्र0 के स्तर से आवश्यक कार्यवाही अथवा संबंधित को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ	अधिशासी अभियंता उ0प्र0जल निगम (नगरीय) मेरठ	अधीक्षण पुरातत्वविद् आर्कियोलाजीकल सर्वे आफ इण्डिया, मेरठ	पुलिस क्षेत्राधिकारी मेरठ कैंट, मेरठ

26/7/25

26/7/2025

अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, मेरठ	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स

कूड़ा स्थल

कुएं का स्थल

कुएं की स्थिति

प्रेषक,

अपर नगर मजिस्ट्रेट (सदर),
मेरठ।

2302 ADM(E)

सेवा में,

ज़िलाधिकारी,
मेरठ।

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट 18/9/2023

पत्रांक : 992/पेशकार/एसीएम-प्रथम/जॉच/ मेरठ/2023 दिनांक : 18/09/2023

महोदय,

2345

ADM City

जिलाधिकारी (प्रशासन) 19/9/23

C.M.-I

कृपया पवित्र गोयल, पारस गोयल, पवन गर्ग आदि के द्वारा महोदय को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना पत्र पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 21-08-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत श्री बिलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर सदर कैन्ट स्थित थाना सदर बाजार मेरठ के पीछे सदर कैन्ट के सम्बन्ध में इस आशय की शिकायत की गई है कि यह मन्दिर श्रीराम कालीन पोराणिक महत्व का ऐतिहासिक सिद्धपीठ है एवं पुरातत्व विभाग में संरिक्षत स्मार्क के रूप में पंजीकृत है, किन्तु इस मन्दिर में कोई प्रबन्ध कमेटी न होने के कारण, अत्यधिक अव्यवस्था है, मन्दिर परिसर में पशु विचरते रहते है, गन्दगी व अव्यवस्था के कारण यह पर भक्तो का आना-जाना काफी कम हो गया है, यह भी आरोप लगाया गया है कि मन्दिर की पूजारन श्रीमती सुधा गोस्वामी द्वारा मन्दिर के बाहरी द्वार पर पारिवारिक ट्रस्टी का बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें नाबालिग बच्चो का फोटो भी भावी ट्रस्टी के रूप में लगा रखा है। मन्दिर की गर्भगृह में भगवान शंकर की आरती का बोर्ड हटाकर सुधा गोस्वामी ने वहा पर अपने पूर्वजों का बोर्ड लगा दिया है। जिसके कारण क्षेत्र की जनता की भावना आहत हुई है तथा इसके प्रति जनता में रोष है। अन्त में मन्दिर की दुर्दशा को रोकने हेतु, महोदय की अध्यक्षता में प्रबन्ध समिति गठित कर, मन्दिर की देख-रेख हेतु उचित व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया है।

इस शिकायत के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वंय मन्दिर परिसर का शिकायतकर्ताओ की उपस्थिति में दिनांक 10-08-2023 को भ्रमण किया गया, व मन्दिर की संरक्षक श्रीमती सुधा गोस्वामी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12-09-2023 को नोटिस जारी किया गया। जिसके क्रम में सुधा गोस्वामी द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्य रूप से अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ में रामायण कालीन स्वयंभू शिवलीग प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) सदर मेरठ में सैकडो वर्ष पुराना है जिसमें माता मन्दोदरी रामायण काल में स्वयं शिवलिंग की पूजा अर्चना करने आती थी। ऐसा प0उ0प्र0 व उ0प्र0 में आज भी कहावत प्रचलित है। प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) के अलावा सूरजकुण्ड जो ऐतिहासिक स्थलीय पर बाबा मनोहर नाथ मन्दिर है, जो मन्दिर व मन्दिर के आस-पास सैकडो बीघा भूमि प्रार्थी के पूर्वजों की दादालाई सम्पत्ति है। प्रार्थी के पूर्वजों ने सदर मेरठ स्थित प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) जिस खेवट में बना है उसमें तथा सूरजकुण्ड स्थित जंहा बाबा मनोहर नाथ मन्दिर बना है उसके

खेवट में प्रार्थी के पूर्वजों में जो सहखातेदार थे, उन्होने आपसी बटवारा करके सदर मेरठ स्थित प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) को प्रार्थी के पूर्वजों को दिया तथा बाबा मनोहरनाथ मन्दिर उमराव गिरी व उनके वंशजों को दिया गया।

प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) का रकबा खेवट संख्या 705 व 794 में स्थित है जबकि इतंकाव खेवट 1394 ता 1397 फसली में खेवट संख्या 163/1 में महन्तानी के पुरखे श्रीमती चॉद रानी व सरोज कुमारी शर्मा पुत्री अन्नत गिरी अंकित है। दस्तावेज लेखक पवन गर्ग व कबाडी विजय गोयल उर्फ विज्जी का एक मात्र लक्ष्य मन्दिर परिसर की करोडो रूपये की सम्पत्ति में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करके जो मन्दिर परिसर में खाली भूमि पडी है, उसमें फन्ट की दुकाने बनवाकर, तथा सदर थाने की ओर खाली भूमि में रामलीला कमेटी, संस्कृति महाविद्यालय आदि के कार्यालय बनाकर धन उगाही का व्यवसाय शुरू किया जा सके, इसलिए प्रार्थी के पूर्वजों ने जो पारिवारिक ट्रस्ट करीब 40 वर्ष पहले गठन करके पंजीकृत कराया है, उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को सदस्य बनाने व प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) की कोई कमेटी बनाने से साफ इन्कार कर दिया और इन लोगो की मन्दिर परिसर में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा पारिवारिक ट्रस्ट पंजीकृत कराकर, अपने पूर्वजों की निजी मन्दिर की भूमि का भूमाफियाओ, मन्दिर माफियों व तथा कथित समाज सेवियों द्वारा भिन्न–भिन्न नामो से कमेटी बना कर धन उगाही करने वाले गिरोह से भविष्य में मन्दिर की सम्पत्तियों को खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिए ट्रस्ट का पंजीकृण कराया था और उक्त पारिवारिक ट्रस्ट केवल अपने पूर्वजों की निजी मिलकियत जो प्रार्थी के पूर्वजों की सैकडो वर्ष पुरानी सम्पत्ति है। भविष्य में भूमाफिया व मन्दिर माफिया इसे अपनी निजी मिलकियत बनाकर मन्दिर परिसर में प्रार्थी के पूर्वजों की जो महापुरूष हुऐ उनकी समाधियों को नष्ट करके उस भूमि को खाली कराकर, उस पर भी कोई व्यवयायिक गतिविधिया संचालित कराने के लिए नवनिर्माण ना करा सके इन गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए पारिवारिक ट्रस्ट बनाया गया है। जिसमें परिवार के बाहर के किसी भी सदस्य को ट्रस्टी बनाया जाना नियमावली के विरूद्ध है। इसलिए इन लोगों को न तो हमने ट्रस्ट में शामिल किया और न ही प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) के प्रबन्धन हेतु कोई नई कमेटी गठन करने उसकी सहमति दी और न ही अधिकृत किया गया।

प्रश्नगत मन्दिर आराजी के स्वामित के सम्बन्ध में तहसीलदार मेरठ से आख्या प्राप्त की गई तहसीलदार मेरठ की आख्या पत्र संख्या 3439–बी0/आर0सी0/दिनांक 14–09–2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि खेवट संख्या 163 बाबा मनोहर नाथ मन्दिर से सम्बन्धित है कस्बा मेरठ दो क्षेत्र में बटा होने पहला भाग मेरठ मुजविता व दूसरा भाग मेरठ माफी दवाम की है। मेरठ मुजविता के अन्तिम खेवट क्रमांक 475 है तथा खेवट माफी दवाम का अन्तिम क्रमांक 445 है। इस प्रकार तहसीलदार मेरठ की आख्या से स्पष्ट है कि महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर के स्वामित्व के सम्बन्ध में सुधा गोस्वामी द्वारा किया गया कथन असत्य है। शिकायतकर्तागण द्वारा अपनी शिकायत के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये मेरठ कैन्ट के जनरल लैन्ड रजिस्ट्रर के उद्धरण के अनुसर सर्वे नं0 387 पेज नं0 डी0ओ0 04/104 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 0.5390 एकड, अभिलेखों में हिन्दू कम्यूनिटी के नाम अंकित है। शिकायतकर्तागण द्वारा अंकित कराये गये

ब्यानात व स्थलीय निरीक्षण पर यह तथ्य विशेष रूप से संज्ञान में आया कि महाबिलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर एक श्रीराम कालीन पोराणिक सिद्धपीठ है एवं मन्दिर परिसर में लगे बोर्ड के अनुसार संरक्षित स्मार्क के रूप में पंजीकृत है। जॉच के दौरान मन्दिर परिसर में अत्यधिक गंदगी व अव्यवस्था पायी गई। मन्दिर के गर्भगृह में पूजारन श्रीमती सुधा गोस्वामी द्वारा अपने पूर्वजों की फोटो लगा होना पाया गया। जिससे क्षेत्र की जनता की धार्मिक भावना आहत होने से इनकार नही किया जा सकता। मन्दिर परिसर में ही एक प्राचीन स्थित कुएं को भी श्रीमती सुधा गोस्वामी द्वारा बन्द कराकर, प्राचीन स्मृति को खत्म करने का प्रयास किया गया है।

अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन व निरीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट है कि महाबिलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर कोई निजी आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति न हो कर, भगवान की पूजा अर्चना किये ज़ाने का स्थान है तथा जहां पर भगवान का ही निवास होता है। इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्य न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी मन्दिर के पुजारी का अधिकार क्षेत्र उस मन्दिर की सम्पत्ति के संरक्षण/देखभाल व रोजमर्रा की धार्मिक क्रियाकलाप करने तक ही सीमित होता है तथा वह मन्दिर के स्वामित्व को हासिल नही कर सकता है। मन्दिर का असली स्वामित्व सदैव भगवान में ही समाहित होता है। उपरोक्त सिद्धान्त को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4850/2021 स्टेट मध्यप्रदेश बनाम पुजारी उथान एवं कल्याण समिति व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06–09–2021 में प्रतिपादित किया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियो के दृष्टिगत उचित होगा कि सदर मेरठ कैन्ट स्थित श्री महाबिलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर में व्याप्त अव्यवस्था, देख–रेख व साफ सफाई एवं मन्दिर परिसर की सम्पत्तियों की सुरक्षा व नित्ये कार्यो के लिए अनुरक्षण व विकास हेतु, क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की एक समिति गठित किया जाना उचित होगा।

आख्या महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

18-9-2023
(संजय कुमार)
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम),
मेरठ।

Annexure-R-3

प्रेषक

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0राज्य पुरातत्व विभाग,
छत्तर मंजिल परिसर, महात्मा गांधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांकः 1042 /आर0ओ0–पीसीबी/2025 दिनांक – 28.07.2025

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–163/2025 दिनेश गोयल एण्ड अदर्स बनाम गनेश अग्रवाल एण्ड अदर्स (आई0ए0 संख्या–296/2025) में पारित आदेश दिनांक–22/04/2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–163/2025 दिनेश गोयल एण्ड अदर्स बनाम गनेश अग्रवाल एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–22/04/2025 के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं–

"1. In this Original Application (OA), the applicant pleads that an ancient well existed in a mandir named Shree Bilveshwar Nath Mahadev Mandir, which was situated at the back of Sadar Police Station, Meerut Cantt, Uttar Pradesh.
2. Further plea of the applicant is that property is a heritage property and well itself was 100 years old and a part of the heritage property.
3. The applicant alleges that the well is being filled up, and some of the respondents are attempting to encroach upon it and raise construction in that area. The applicant alleges that certain persons with criminal minds intend to make shops on the well and sell it for commercial gain.
4. The applicant has also alleged about open burning of garbage, causing air pollution. In support of such a plea, Learned Counsel for the applicant has referred to photograph on page no. 103 to show that well has been filled up and also photographs on page nos. 105, 106 and 107 in support of the plea of open burning of the garbage.
5. OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.
6. Issue notice on OA and IA No. 296/2025 to the respondents for filing their responses/replies by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent files the reply directly without routing it through their advocate, then that respondent must be present virtually to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.
7. List on 01.08.2025..."

मा0 एनजीटी द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या–482/क्षे0प्र0कार्या0/2025 दिनांक–27/06/2025 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद स्तर पर टीम/समिति का गठन किया गया है। गठिति समिति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि मंदिर परिसर प्राचीन एवं पुरातात्विक महत्व का है तथा राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। आख्या की प्रति संलग्न है। परिसर के मंदिर, कुआं आदि के रखरखाव प्रबंधन एवं साफ

सफाई इत्यादि के संबंध में राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ, उ0प्र0 के स्तर से आवश्यक कार्यवाही अथवा संबंधित को निर्देशित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अपर नगर मजिस्ट्रेट (सदर), मेरठ द्वारा भी अपनी जॉच आख्या पत्रांक 992/पेशकार/सी0एम0–प्रथम/जॉच/मेरठ/2023 दिनांक 18–9–2023 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि मन्दिर परिसर में ही एक प्राचीन स्थित कुएँ को भी श्रीमती सुधा गोस्वामी द्वारा बन्द कराकर प्राचीन स्मृति को खत्म करने का प्रयास किया गया है (प्रति संलग्न)।

अतः उक्त के दृष्टिगत कृपया अपने स्तर से संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे कि मा0 एनजीटी द्वारा पारित उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

28.07.2025

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि–
1–महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001।

28.07.2025

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।